

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

E-mail

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-8/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(एससीएसपी)10-11 दिनांक 4 मई-2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-347/26-ब0प्र0-2010-02बजट/2010, दिनांक 26-4-2010 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास हेतु रू0 57,15,00,000/- (रूपये सत्तावन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एससीएसपी हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

3- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

4- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय। किन्हीं भी परिस्थियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। आवंटित धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

6- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एससीएसपी मद/टीएसपी योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

7- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।


8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के0-75/रा0-25-रा0)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।



9- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-179 पर कर ली गयी है।


संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक:-जीओ-8/सम्प्रेक्षा/आई०ए०वाई(एससीएसपी)10-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 3- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 9- विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०शासन को शासनादेश संख्या-347/26-ब०प्र०-2010-02बजट/2010, दिनांक 26-4-2010 के क्रम में।


(महेश कुमार अग्रवाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

पत्र संख्या-जीओ-8/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(एससीएसपी)/2010-11, दिनांक 4 मई-2010 का संलग्नक
इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि
1	2	3
1	MEERUT	41.51
2	GHAZIABAD	35.43
3	BULANDSHAHAR	56.20
4	G.B. NAGAR*	17.08
5	BAGPAT	9.79
6	SAHARANPUR	79.04
7	MUZAFARNAGAR	65.15
8	MORADABAD	85.73
9	BIJNOR	84.91
10	RAMPUR	49.67
11	J.B.F. NAGAR	25.38
12	BAREILLY	64.80
13	BADAUN	93.37
14	SHAHJAHANPUR	99.72
15	PILIBHIT	84.50
16	AGRA	54.80
17	MAINPURI*	37.53
18	MATHURA	34.88
19	FIROZABAD	37.98
20	ALIGARH	64.25
21	ETAH	33.89
22	KANSHIRAM NAGAR	26.17
23	HATHRAS	30.83
24	JHANSI	21.20
25	JALAUN	23.98
26	LALITPUR	17.52
27	BANDA	21.09
28	HAMIRPUR	14.12
29	MAHOBA	10.69
30	CHITRAKUT	12.88
31	ALLAHABAD	82.89
32	FATEHPUR	73.35
33	PRATAPGARH	80.87
34	KAUSHAMBHI	44.92
35	KANPUR NAGAR	58.00
36	KANPUR DEHAT	56.54
37	ETAWAH	39.75
38	FARRUKHABAD	47.10
39	KANNAUJ	34.99
40	ORRAIYA	39.14

पत्र संख्या-जीओ-8/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(एससीएसपी)/2010-11, दिनांक 4 मई-2010 का संलग्नक
इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि
1	2	3
41	VARANASI	45.29
42	GHAZIPUR	81.73
43	JAUNPUR	157.95
44	CHANDAULI	38.10
45	MIRZAPUR	52.76
46	SONBHADRA	39.37
47	S. R. NAGAR	32.12
48	LUCKNOW	61.96
49	SITAPUR	202.96
50	UNNAO	112.42
51	HARDOI	118.75
52	KHERI	337.71
53	RAE BARELI	102.90
54	GORAKHPUR	156.74
55	DEORIA	170.72
56	KUSHINAGAR	539.08
57	MAHRAJGANJ	141.88
58	BASTI	93.29
59	SIDHARTHANAGAR	59.00
60	S.K.NAGAR	56.97
61	AZAMGARH	120.24
62	MAU	45.65
63	BALLIA	178.00
64	FAIZABAD	61.52
65	BARABANKI	152.46
66	SULTANPUR	90.77
67	AMBEDKARNAGAR	51.76
68	GONDA	174.65
69	BAHRAICH	194.40
70	BALRAMPUR	84.31
71	SHRAWASTI	67.90
	STATE TOTAL	5715.00

(रु० सत्तावन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)

अपर आयुक्त (लेखा),

ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

भवनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण
विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवयुक्त करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ : दिनांक: 26 अप्रैल, 2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-28/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2010-11, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास हेतु 25 प्रतिशत की धनराशि रु0 5715.00 लाख (रु0 सत्तावन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्हीं भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा । यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।

5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

(अपर आयुक्त
... (लेखा)

29.4.2010

CSO


यु

3/5/10

3/5/10

- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26.3.2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,



(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
- 10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
- 11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,


(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।